



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1576 वर्ष 2026

साहब सिंह

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 16 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : देव प्रकाश सिंह, विकास त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के पिता राम भूल (अब मृत) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उ०प्र० भूराजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अधीन कार्यवाहियों को आरम्भ किया गया था जिसे मामला सं० 5071 वर्ष 2023 (रामभूल सिंह बनाम मंगल सिंह) के रूप में पंजीकृत किया गया था, पूर्वोक्त मामले को प्रत्यर्थी सं० 3/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील बुधना, जिला मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 27.12.2023 द्वारा भागतः अनुज्ञात किया गया था। पूर्वोक्त आदेश से व्यथित, याची के पिता रामभूल ने आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के समक्ष अपील दाखिल किया था जैसा उ०प्र० भूराजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा 4 के अधीन उपबंधित है जिसे प्रत्यर्थी सं० 2/अपर आयुक्त (पशासन) सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के आदेश दिनांक 20.11.2025 द्वारा नामंजूर किया गया था। पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित, वर्तमान याचिका दाखिल की गई है।
2. अभिलेख के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त आदेशों के विरुद्ध, पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण दाखिल करने का कानूनी उपचार याची को प्राप्त है जैसा उ०प्र० भूराजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अन्तर्गत उपबंधित है।
3. आनुकल्पिक उपचार के उपलब्धता के दृष्टिगत, रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

जनवरी, 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया,

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"